पत्र संख्या 189-93 /.उपसिक / अलौह / 2010-11 दिनांक : 9.11.2010

आदेश

निगम के अलौह अनुभाग के अन्तर्गत **ब्रास स्कैप** की कार्य प्रणाली को अधिक सुचारु रुप से कियाशील बनाने हेतु निम्न आदेश किये जाते है :-

1. पंजीकरण :-

कोई भी इकाई, जो लघु उद्योग निगम से ब्रास स्कैप की आपूर्ति लघु उद्योग निगम के माध्यम से लेने मे इच्छुक है को निगम में पंजीकरण के समय निम्न प्रमाण-पत्र देने/प्राप्त करने आवश्यक होगे :-

(अ) रू0 1000 (रू0 एक हजार मात्र) का पंजीकरण शुल्क निगम में उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर के नाम बनवाकर जमा करके नियमानुसार पंजीकरण फार्म प्राप्त करेगा, तथा पंजीकरण धनराशि किसी स्थिति में वापसी योग्य नही होगी।

(ब) पंजीकरण से पूर्व निर्धारित पंजीकरण फार्म के साथ निम्न प्रपत्र संलग्न कर निगम के अलौह अनुभाग को प्रस्तुत करेगा :-

1. सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निर्गत वैध पंजीकृत प्रमाण पत्र, जिसमें अलौह धातु (ब्रास स्कैप) का प्रयोग इंगित हो, की सत्यापित प्रति।
2. वाणिज्य कर कार्यालय द्वारा निर्गत फार्म -XI की सत्यापित प्रति।
3. पैन नम्बर की सत्यापित प्रति।
4. विगत तीन वर्षो मे से किसी एक वर्ष की सत्यापित बैलेन्स शीट।
5. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ताज टेपेजियम सम्बन्धी निर्णय को दृष्टिगत् रखते हुये आगरा परिक्षेत्र में स्थित इकाईयों को पाल्युशन कन्ट्रौल बोर्ड से कन्सेन्ट पत्र लगाना आवश्यक होगा।
6. निर्यातक इकाईयों को एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल का पंजीयन नम्बर सम्बन्धी प्रपत्र भी संलग्न करना होगा। निर्यात सम्बन्धी प्रपत्र जैसे ड्यूटी ड्राबेक, R.G.-23 प्रपत्र भी प्रस्तुत करने होगे। निर्यातक को एक एफिडेबिट देना होगा कि क्रय किये गये कच्चेमाल का उपयोग वे अपने निर्यात उत्पादों के उत्पादन हेतु ही उपयोग करेगें।

<u>यदि इच्छुक इकाईयों के द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र पूर्ण नही पाये जायेगे, तो निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि उन इकाईयों का पंजीयन निगम में न करें। पंजीकरण प्रकिया पूरे वर्ष में कभी भी इकाई द्वारा कराई जा सकती है।</u>

2. आवंटन :-

निगम द्वारा अलौह योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थानों से ब्रास स्कैप प्राप्त करके निगम द्वारा चिन्हित इकाईयों को ब्रास स्कैप उपलब्ध कराना है जिस हेतु समस्त वांछित लाजिस्टिक की व्यवस्था प्रयुक्त ब्रास समन्यवयक द्वारा किया जाना निर्दिष्ट है। निगम द्वारा वर्तमान में रक्षा मंत्रालय एवं पी0 ए0 सी0 सीतापुर से ब्रास स्कैप को प्राप्त करने हेतु अनुबन्ध निस्पादित किया जा रहा है। भविष्य में प्राप्त होने वाले स्माल आर्म्स कस्ड ब्रास/ब्रास स्कैप का आंवटन प्राप्त होने के पश्चात् निगम में प्रस्तर संख्या 1 के

अन्तर्गत पंजीकृत पात्र इकाईयों को प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर वितरित किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश की निर्यात नीति के अन्तर्गत प्रस्तर संख्या 4.1.9 में निर्यातक इकाईयों को प्राथमिकता के आधार पर कच्चा माल उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये है। तदक्रम में निगम को समय समय पर ब्रास स्कैप के आवंटन का 75 प्रतिशत प्रदेश की पात्र निर्यातक इकाईयों के लिये सुरक्षित रखा जायेगा तथा 25 प्रतिशत प्राप्त आवंटन का उ0 प्र0 की एम0एस0एम0ई इकाईयों हेतु सुरक्षित रखा जायेगा, जो निगम में प्रस्तर संख्या 1 के अनुसार निगम द्वारा पंजीकृत हो। सम्बन्धित विभागों से प्राप्त आवंटन की सूचना निगम के नोटिस बोर्ड पर/ वेबसाइट पर /क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रदर्शित की जायेगी।

3. पात्र इकाईयॉ :–

प्रस्तर 2 पर उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार पात्र पंजीकृत इकाईयॉ निगम में अपना मॉग पत्र प्रस्तुत करेगी तथा मॉग पत्र के साथ रू0 एक लाख की सुरक्षा धनराशि ड्राफ्ट द्वारा उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम के पक्ष में संलग्न कर प्रस्तुत करेगी तथा कन्साइनर द्वारा इंगित नियम एवं शर्तो के अन्तर्गत रहते हुये निगम के अलौह अनुभाग को प्रस्तुत करेगी। उप मुख्य प्रबन्धक अलौह का यह दायित्व होगा कि उक्त प्रकार प्राप्त आवंटन के सापेक्ष इकाईवार सूची, जिसमें मात्रा, स्थान आदि इंगित हो, को प्रबन्ध निदेशक महोदय के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर सम्बन्धित अलौह विभाग रिलीज आर्डर इकाईवार निर्गत करेगा।

4. कास्टिंग कमेटी :–

रक्षा मंत्रालय /पी0ए0सी0 सीतापुर द्वारा इकनोमिक टाईम्स में प्रकाशित भारत स्कैप की दरों पर, जो रिलीज आर्डर/अनुबन्ध की तारीख को प्रकाशित हुये हो, पर पीतल स्कैप निर्गत करता है। निगम उक्त खरीद मूल्य को आधार मानते हुये, जिसमें वाणिज्य कर अतिरिक्त देय होता है, तथा समय समय पर अनुमोदित निगम का सेवा शुल्क (जो वर्तमान में 2.5 प्रतिशत है) एवं समन्वयक शुल्क रू0 600/– एम0टी0 + सर्विस टैक्स को जोडते हुये अपना विक्रय मूल्य प्रति मै0 टन वर्तमान में निर्धारित करता है। समय समय पर विक्रय मूल्य को निर्धारित करने हेतु निम्न समिति गठित की जाती है, जो विधिवत् प्रबन्ध निदेशक महोदय से समय समय पर अनुमोदन प्राप्त करेगी :–

(अ) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी।
(ब) उप मुख्य प्रबन्धक ~~अलौह~~।
(स) विभागीय प्रबन्धक लौह/कोल।
(द) ~~सहायक~~ प्रबन्धक अलौह।

5. प्राप्त आवंटन के विरूद्व भुगतान :–

निगम को रक्षा मंत्रालय /पी0ए0सी0 सीतापुर से प्राप्त रिलीज आर्डर के विरूद्व समान्यतः 10 दिन के अन्दर भुगतान करना होता है जिसमें ब्रास स्कैप का आवंटित मूल्य की धनराशि, वाणिज्य कर की धनराशि पृथक पृथक प्रेषित करनी होती है। प्रस्तर संख्या 3 पर उल्लेखित इकाईवार अनुमोदित वितरण सूची के आधार पर पात्र पंजीकृत इकाईयों से पहले आवक पहले पावक के आधार पर तीन ड्राफ्ट इकाईयों से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त करने होंगे, जो निम्न प्रकार है :–

Approved.

1. कन्साइनर (कमान्डेट आयुध भण्डार/कमान्डेट पी0ए0सी0) के नाम ब्रास स्क्रैप का मूल्य, जिसका पूर्ण विवरण निगम रिलीज आर्डर मे इंगित करेगी।
2. वाणिज्य कर का कन्साइनर के नाम ड्राफ्ट (प्रचलित दरों के आधार पर प्रदेश से बाहर की खरीद पर मूल्य का दो प्रतिशत देय है तथा प्रदेश की खरीद पर वर्तमान में 5 प्रतिशत देय है) ।
3. लाभाविन्त इकाईयो का फार्म 'सी', जो निगम में भुगतान के साथ उपलब्ध कराना होगा।
4. प्रयुक्त निगम का समन्यवयक उक्त कार्य में निगम को सहयोग प्रदान करेगा जिससे कन्साइनर की नियम एवं शर्तो के अन्तर्गत ससमय कन्साइनर को भुगतान कर सकें।

6. ब्रास स्क्रैप की डिलेवरी :–

प्रस्तर 5 में उल्लेखित प्रकिया अनुसार प्रयुक्त समन्यवयक का यह परम दायित्व होगा कि निगम द्वारा चयनित पात्र इकाईयों को विभिन्न कन्साइनर के डिपों में वांछित भुगतान निगम द्वारा निर्धारित कास्टिंग के आधार पर प्राप्त कर डिलेवरी हेतु तारीख ले। उक्त के परिपालन में निगम स्तर से निम्न प्रपत्र प्राप्त कर सम्बन्धित भण्डारों को उपलब्ध करायेगा :–

1. पात्र इकाईयो से प्राप्त ब्रास स्क्रैप का मूल्य तथा वाणिज्य कर की धनराशि का ड्राफ्ट, जो सम्बन्धित आयुध भण्डारों में ससमय जमा होगी।
2. निगम का फार्म 'सी' (प्रदेश के बाहर की खरीद हेतु)
3. इकाई द्वारा फार्म –38 को विधिवत् उपयोग करना।
4. माल जैसा है, जहॉ है, के आधार पर प्राप्त एवं वितरित किया जायेगा जिसकी संतोषजनक प्राप्ति सम्बन्धित कैश मैमो/जी0आर0 में सम्बन्धित इकाई द्वारा दी जायेगी।
5. माल को भण्डारो से उठाने हेतु निगम प्रतिनिधि को अधिकार पत्र उपलब्ध कराया जायेगा जिसमे उसके हस्ताक्षर तथा फोटो नियमानुसार अलौह अनुभाग द्वारा सत्यापित कर निर्गत किया जायेगा। प्रतिनिधि का यह दायित्व होगा कि वे विभिन्न कन्साइनर के भण्डारो से निगम के नाम निर्गत इनवाइस, ई–1 फार्म **(जिसकी मूल जिम्मेवारी प्रयुक्त समन्यवयक की है)** तथा विभिन्न प्रपत्र, निर्गत किये जाने वाला कैश मैमों मे निगम के रिलीज आर्डर के आधार पर ब्रास स्क्रैप की डिलेवरी सम्बन्धित इकाई के मालिक/आथराइज्ड प्रतिनिधि को उपलब्ध करायेगा, जिसमें निर्गत मात्रा, अनुमोदित दरें तथा धनराशि पृथक रूप से इंगित करेगा एवं इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये फार्म 'सी' का नम्बर, इकाई द्वारा प्रदत्त फार्म –38 का नम्बर तथा अग्रिम धनराशि के ड्राफ्ट का नम्बर एवं दिनांक भी निर्गत किये जाने वाले कैश मैमों में प्रदर्शित करेगा।

7. रिटर्न :–

निगम द्वारा माह वार लाभान्वित एम0एस0एम0ई0 इकाईयो की सूची अनवरत् रूप से सम्बन्धित सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र तथा उद्योग निदेशालय के कच्चे माल विभाग मे प्रेषित की जायेगी एवं उक्त सूची सम्बन्धित आयुध भण्डार (कन्साइनर) को भी माह वार प्रेषित की जायेगी जिससे पारदर्शी व्यवस्था प्रोदभूत हो सकें।

8. दण्डात्मक कार्यवाही :–

पूर्ण वर्ष का लक्ष्य प्राप्त न होने पर समन्यवयक से हुये अनुबन्ध में निहित शर्तो के आधार पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। लाभानवित एम0 एस0 एम0 ई0 इकाईयों को उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराये गये ब्रास स्कैप के सम्बन्ध में यदि कोई दुरूपयोग करने वाली इकाईयो की सूचना निगम को , सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अवगत कराई जाती है, ऐसी स्थिति में सम्बन्धित इकाई को निगम की काली सूॅची में डाल दिया जायेगा। यदि पात्र इकाई द्वारा आवंटित मात्रा ससमय नही उठायी जाती है तो उसकी सुरक्षा धनराशि निगम द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

9. लेखाकंन :–

निगम के सामान्य अनुभाग अलौह का यह परम दायित्व होगा कि वे उपरोक्तानुसार खरीद /बिकी से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र ससमय लेखा अनुभाग को प्रेषित करें जिससे इकाई वार देन लेन सम्बन्धी प्रपत्र सृजित किये जा सकें। उपयोग किये जाने वाले फार्म 'सी', प्राप्त होने वाले फार्म ई–1, इकाई से प्राप्त होने वाले फार्म 'सी' तथा प्रदेश से बाहर खरीद किये गये स्कैप पर उपयोग किये गये इकाई के फार्म–38 का विवरण आदि अभिलेख विभागीय प्रबन्धक टैक्सेशन को मासिक रूप से उपलब्ध करायेगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से मान्य होगें ।

08/11/10

(अभय कुमार बाजपेयी)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 189-93/उपसिक/अलौह/2010–11 दिनांक: 9.11.2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मेसर्स सुनील मेटल इन्ड्रस्ट्रीज 69–बी, इण्ड्रस्ट्रियल स्टेट, नुनहाई आगरा, निगम समन्यवयक को दिनांक 21.05.2010 को निष्पादित अनुबन्ध के कम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक ।
3. उप मुख्य प्रबन्धक, अलौह।
4. वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी
5. प्रबन्ध निदेशक शिविर ।

08/11/10

(अभय कुमार बाजपेयी)
प्रबन्ध निदेशक

Approved
08/11/10
MD